न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

रामपाल शुक्ल तनय चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला निवासी सगरा, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

शासन मध्य प्रदेश .... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय एवं आदेश कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण क0 04/अ 19/स्व0 निग0/ 2012 –13 में पारित आदेश दिनांक 07/06/2017 के विरूद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य –

1. यह कि आ0नं0 272/1 रकवा 2.40 ए0 स्थित ग्राम सगरा तह0 सिरमौर जिला रीवा पर निगरानीकर्ता का कब्जा वर्ष 1979–80 से चला आ रहा है। तहसीलदार सिरमौर द्वारा राजस्व प्रकरण क0 120/अ 19/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 06/07/1985 के द्वारा उक्त आराजी का व्यवस्थापन निगरानीकर्ता के पक्ष में किया जा चुका है। निगरानीकर्ता उक्त भूमि का स्वत्वधारी एवं अधिपत्यधारी है तथा सुसंगत राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी है।

2. यह कि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली नहर हेतु उक्त भूमि का लगभग 1 एकड़ रकवा वर्ष 2011 में अधिग्रहित किया जिसका मुआवजा निगरानीकर्ता के पक्ष में बनाया गया है। उक्त अधिग्रहित भूमि का मुआवजा निगरानीकर्ता को ना मिल सके इस कारण अश्वनी कुमार शुक्ल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क0 16408/2011 प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 12/10/2011 को अश्वनी कुमार शुक्ल की याचिका को निरस्त करते हुये यह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1767–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर रीवा के प्र0 कं0 04/अ–19/स्व0 निग0/2012 में पारित आदेश दिनांक 07–6–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि कलेक्टर ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं जांच उपरांत आवेदक की 02–10–1984 के कब्जे तथा पात्रता नहीं पाते हुये शासकीय भूमि का व्यवस्थापन निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा विस्तार से आदेश पारित कर जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें हस्तक्षेप का प्रथमदृष्टया कोई आधार प्रकट नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	